न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 152/2018

अनवान :

1. राकेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. मुकेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री जगदीश पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी घेऊ हाल निवासी खारिया जिला हिसार।
3. किरण पुत्री जगदीश पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी घेऊ हाल निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ **: वादीगण**

वकील श्रीमुन्शीराम गोस्वामी**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 27.9.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के दादा हंसराम की राही मोजा घेऊ के खसरा सं. 612, 613/1, 663/1, 664/1, 804/613 की कुल 13.708 हैक्टर बारानी खातेदारी हुआ करती थी तथा इस भूमि की आय आमदनी से रोही घेऊ के खसरा सं. 624, 629/1, 803/613 की 3.745 हैक्टर भूमि खरीद कर ली गई थी जो वादी के पिता जगदीश व उनके भाई हरिसिंह, कृष्ण ने अपने नाम से बैयनामा करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली।

वादीगण के दादा हंसराम के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि जो वादीगण के पिता जगदीश के नाम से दर्ज है, उसमें वादीगण का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 हिन्दु है तथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि राजस्व रिकार्ड में तन्हा प्रतिवादी के नाम दर्ज चली आ रही है तथा वादभूमि का हाल ही खाता विभाजन हो गया एवं वादीगण एवं प्रतिवादी जगदीश के हिस्सा की भूमि का खाता तकसीम होकर अलग से जगदीश के नाम से खाता हो गया है।

अब रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता संख्या 434व 435 के खसरा सं. 663/3 की 0.2867, खसरा सं. 664/4 की 0.514 हैक्टर, खसरा सं. 629/2 की 0.675

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

हैक्टर, खसरा सं. 613/1 की 2.806 हैक्टर, खसरा सं. 612 की 0.902 हैक्टर, खसरा सं. 806/613 की 0.634 हैक्टर कुल किता 6 की 5.8177 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी जगदीश के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी वादभूमि हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया है जिसमें प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा तर्क कर अपना शुन्य कर लिया है जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी जगदीश के नाम से दर्ज है, वह वादीगण एवं प्रतिवादी जगदीश को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी जगदीश की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी जगदीश के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 4 को फोरमल पक्षकार होने के कारण तर्क किया व बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में राकेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी घेऊ सम्वत 2071–74 खाता संख्या 434/404 व 435/210 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू–प्रबंध विभाग ग्राम घेऊ प्रदर्श 2 जो तीन प्रतियों में है, जमाबंदी हुणतपुरा सम्वत 2072–75 प्रदर्श 3, जमाबंदी हुणतपुरा सम्वत 2072–73 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता संख्या 434 व 435 के खसरा सं. 663/3 की 0. 2867, खसरा सं. 664/4 की 0.514 हैक्टर, खसरा सं. 629/2 की 0.675 हैक्टर, खसरा सं. 613/1 की 2.806 हैक्टर, खसरा सं. 612 की 0.902 हैक्टर, खसरा सं. 806/613 की 0.634 हैक्टर कुल किता 6 की 5.8177 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी जगदीश के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 बहिस्सा बराबर के अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर आंशिक डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

संख्या 434 व 435 के खसरा सं. 663/3 की 0.2867, खसरा सं. 664/4 की 0.514 हैक्टर, खसरा सं. 612 की 0.902 हैक्टर, खसरा सं. 806/613 की 0.634 हैक्टर कुल किता 4 की 2.3367 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है तथा खसरा सं. 629/2 की 0.675 हैक्टर एवं खसरा सं. 613/1 की 2.806 हैक्टर भूमि का दादालाई साबित करने में वादीगण असफल रहा है, इस कारण 629/2 की 0.675 हैक्टर एवं खसरा सं. 613/1 की 2.806 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 जगदीश का 1/3 हिस्सा में यथावत रखा जावे । दावा में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.9.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 152/2018

अनवान :

1. राकेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. मुकेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री जगदीश पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी घेऊ हाल निवासी खारिया जिला हिसार।
3. किरण पुत्री जगदीश पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी घेऊ हाल निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण साबित होने पर आंशिक डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा घेऊ के वर्तमान खाता संख्या 434 व 435 के खसरा सं. 663/3 की 0.2867, खसरा सं. 664/4 की 0.514 हैक्टर, खसरा सं. 612 की 0.902 हैक्टर, खसरा सं. 806/613 की 0.634 हैक्टर कुल किता 4 की 2.3367 हैक्टर बारानी खातेदारी प्रतिवादी जगदीश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना अपना हक तर्क कर दिया है तथा खसरा सं. 629/2 की 0.675 हैक्टर एवं खसरा सं. 613/1 की 2.806 हैक्टर भूमि का दादालाई साबित करने में वादीगण असफल रहा है, इस कारण 629/2 की 0.675 हैक्टर एवं खसरा सं. 613/1 की 2.806 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 जगदीश का 1/3 हिस्सा में यथावत रखा जावे । दावा में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉप ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.9.18...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़